an>

Title: Regarding grants to the people of SC/ST according to their population.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश के 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान कराए जाते हैं जो प्रॉयरिटी सैक्टर में लगभग 10 प्रतिशत होता है। लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र में मुस्लिम समाज, महिला समाज, सैल्फ हैल्प ग्रुप व दिव्यांग भी शामिल होते हैं जिससे यह तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि 25 प्रतिशत की जो अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी है, उनको फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना अनुदान मिल रहा है। प्रधान मंत्री जी ने स्टार्ट अप एवं स्टैंड अप के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों को उद्योग लगाने के लिए स्पैशल पैकेज दिया है। वे इसका लाभ तभी उठा पाएंगे जब फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उसकी पौपुलेशन के हिसाब से ही ऋण प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and *m04 Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Shri Rattan Lal Kataria.